

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- I/1492423/2026/16-1099/76/2025
लखनऊ दिनांक 12-10-2026

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली-2008 की धारा-3 (1) अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5-(डब्लू- 48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन विनियमावली-2015 निर्गत की गयी। उक्त विनियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में समिति द्वारा वर्ष 2017-18 (एक वर्ष) हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया तथा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से असन्तुष्ट संस्थाओं से प्राप्त प्रत्यावेदनों को निस्तारण करते हुए वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (कुल तीन वर्षों) के लिए मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया एवं वर्ष 2025-26 (एक वर्ष) हेतु नवीन पाठ्यक्रम बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया गया।

3. शैक्षिक सत्र 2026-27 (एक वर्ष) हेतु समिति द्वारा दिनांक 17.09.2026 की सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों

में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु छात्रहित/जनहित के दृष्टिगत वर्ष 2025-26 हेतु पूर्व निर्धारित मानक शुल्क को ही शैक्षणिक वर्ष 2026-27 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

4. उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 (तीन वर्ष) तथा वर्ष 2018-19 में सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 (तीन वर्ष) के लिए जिन संस्थानों का मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारित किया गया था, उन संस्थानों हेतु शासन द्वारा पूर्व वर्ष 2025-26 की भांति शैक्षणिक वर्ष 2026-27 (एक वर्ष) के लिए पूर्व में निर्धारित शुल्क ही प्रभावी होगा।

Digitally signed by
VINOD KUMAR
Date: 12-10-2026 15:33:51

(विनोद कुमार)

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले उ0प्र0।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग विभाग/अल्पसंख्यक विभाग।
4. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
7. सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी।
8. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
9. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
10. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से सम्बंधित संस्थानों को अवगत कराये।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(विनोद कुमार)

विशेष सचिव

प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ०प्र०

गौतमबुद्ध मार्ग, बासमण्डी चैराहा चारबाग, लखनऊ।

द्वारा ई०मेल०

पृ०सं०- 106-07/प्र०फी०नि०स०/शुल्क आदेश/2026

दिनांक 12 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक/प्राचार्य, उ०प्र० में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा/सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं को उत्तर प्रदेश शासन प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- I/1492423/2026/16-1099/76/2025 दिनांक 12.10.2026 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० शासन/अध्यक्ष, प्रवेश और फीस नियमन समिति को महोदय के अवलोकनार्थ।


(डॉ० सन्तोष कुमार सिंह)
सचिव